अतिरिक्त संख्या 6

©

सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

असाधारण

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

खंड LVIII] बुधवार, फरवरी 8, 2017 / माघ 19, 1938

इस भाग को अलग पृष्ठ संख्या दी गई है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दायर किया जा सके।

भाग I-क

केंद्रीय खंड

गुजरात स्थानीय बोर्डों, ग्राम पंचायतों, नगरपालिका नगरपालिकाओं, जिला नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियमों के अंतर्गत आदेश और अधिसूचनाएं (भाग IV-ख में प्रकाशित के अलावा)।

पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

सचिवालय, गांधीनगर, 17 जनवरी, 2017

गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993

संख्या 2017 का केपी 6/पीआरसीएच/102010/जीओआई-43/जी:- जबकि गुजरात सरकार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए संतुष्ट है कि पंचायतों के गुजरात प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) में संशोधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। नियम, 2017 और गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 (1993 का गुजरात 18) की धारा 274 की उप-धारा (5) के पहले परंतुक के अंतर्गत इसके पिछले प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त करना।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 274 की धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात सरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2017 के गुजरात प्रावधानों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान करती है, अर्थात्:-

1. इन नियमों को गुजरात पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा है।

2. नियम 10 से पहले पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2017 (इसके बाद 'उक्त नियमों' के रूप में संदर्भित) के गुजरात प्रावधानों में, शीर्षक "ख की पहचान की शक्तियां; ईएनईएफआईएरी, योजनाओं का अनुमोदन पर्यवेक्षण आदि शामिल किया जाएगा।

3. कथित नियमों में, नियम 18 से पहले, "प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, भूमि और सामुदायिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन" शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 39 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) लघु वन उपज के संग्राहक अपने द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों को अपनी इच्छानुसार बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पर्याप्त मूल्य प्राप्त हों और बिचौलियों या एजेंटों द्वारा उनका शोषण न किया जाए, इस आशय के ग्राम सभा के संकल्प के बाद, गुजरात राज्य वन विकास निगम को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों को बिक्री के लिए खरीदने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जहां मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;

बशर्ते ऐसा करने में, गुजरात राज्य वन विकास निगम यह सुनिश्चित करेगा कि खर्चों में कटौती करने के बाद शुद्ध लाभ सीधे कलेक्टरों के लेखों में जमा किया जाएगा"।

5. उक्त नियमों में, नियम 40 से पहले, "मनी लेंडिंग" शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 40 में, "लैंडिंग" शीर्षक में होने वाले शब्द के लिए, "उधार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 41 से पहले, "नशामुक्ति उपाय" शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 42 से पहले, "अंधविश्वास, जादू-टोना आदि से संबंधित मामले" शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा।

9. कथित नियमों में, नियम 72 में, उप-नियम (1) में

(1) पैरा (क) में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(1) ग्राम सभा शांति समिति का गठन कर सकती है"।

(2) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समितियों में कम से कम तैंतीस प्रतिशत महिलाएं और अनुसूचित जनजातियों के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य होंगे"।

आदेश द्वारा और गुजरात के राज्यपाल के आदेश द्वारा और उनके नाम पर,

वनराजसिंह पाधारिया
सरकार के उप सचिव